# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-69RAAJodhpur2023-39RTA223 Samadi Vs Gawari etc
2023-70RAAJodhpur2023-40RTA223 Samadi Vs Gawari etc

समदी पत्नी श्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी ज्वारनाडा, तहसील फलोदी जिला फलोदी राज.।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. गंवरी पत्नी भागचन्दराम जाति विश्नोई–फौत के कायम मुकाम –
   1.1. सीताराम पुत्र भागचन्दराम
   1.2. जेठमल पुत्र भागचन्दराम
   1.3. मैना पत्नी जेठमल
2. भागचन्दराम पुत्र भोपाराम, जाति विश्नोई निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी, जिला फलोदी राज ।
3. मोहनराम पुत्र किस्तुरराम, जाति सुथार निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी, जिला फलोदी राज ।
4. कालू पुत्र किस्तुरराम जाति सुथार, निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी, जिला फलोदी, राज ।
5. मांगीलाल पुत्र नरूराम, जाति कुम्हार, निवासी–ज्वारनाडा. तहसील फलोदी, जिला फलोदी राज ।
6. भागीरथ पुत्र रूगनाथराम
7. हरीराम पुत्र रूगनाथराम
8. गोपीराम पुत्र रूगनाथराम
   जातियान विश्नोई निवासीगण ज्वारनाडा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
9. सोनाराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी जिला फलोदी राज ।
10. भेराराम पुत्र नरूराम
11. मदनलाल पुत्र नरूराम
12. जगराम पुत्र नरूराम फौत के कायम मुकाम –
    12.1. श्रीमती अमु पत्नी स्व० जगराम
    12.2. मुल्तानाराम पुत्र स्व० जगराम
    12.3. हड़मानाराम पुत्र स्व० जगराम
    12.4. किशन पुत्र स्व० जगराम
    12.5. संतोष पुत्री स्व० जगराम
    12.6. भवरी पुत्री स्व० जगराम
    12.7. रामा पुत्री स्व० जगराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जातियान् कुम्हार, निवासीगण – बालासर मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

13. पेमाराम पुत्र नरूराम, जाति कुम्हार, निवासी–बालासर मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
14. बाबूराम पुत्र जसूराम, जाति सुथार, निवासी–पडियाल, तहसील फलोदी. जिला फलोदी।
15. बरजूकंवर पत्नी डूंगरसिंह,
16. माधुसिह पुत्र गजेसिंह
17. खीवसिह पुत्र गजेसिह
18. सवाईसिंह पुत्र भवरसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण धोलासर, तहसील फलोदी जिला फलोदी।

19. कानाराम पुत्र जसूराम
20. निम्बराम पुत्र जसूराम, जाति कुम्हार, निवासी–पडियाल. तहसील फलोदी जिला फलोदी।
21. श्रीमान तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 24/2018 गवरीदेवी व अन्य बनाम समदी इत्यादि**

---

(02)2023-70RAAJodhpur2023-40RTA223 Samadi Vs Gawari etc

समदी पत्नी श्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी ज्वारनाडा, तहसील फलोदी जिला फलोदी राज.।

अपीलाण्ट ...

**ब**
**ना**
**म**

1. गंवरी पत्नी भागचन्दराम जाति विश्नोई–फौत के कायम मुकाम –
   1.1. सीताराम पुत्र भागचन्दराम
   1.2. जेठमल पुत्र भागचन्दराम
   1.3. मैना पत्नी जेठमल
2. भागचन्दराम पुत्र भोपाराम, जाति विश्नोई निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी, जिला फलोदी राज ।
3. मोहनराम पुत्र किस्तुरराम, जाति सुथार निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी, जिला फलोदी राज ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. कालू पुत्र किस्तुरराम जाति सुथार, निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी, जिला फलोदी, राज ।
5. मांगीलाल पुत्र नरूराम, जाति कुम्हार, निवासी–ज्वारनाडा. तहसील फलोदी, जिला फलोदी राज ।
6. भागीरथ पुत्र रूगनाथराम
7. हरीराम पुत्र रूगनाथराम
8. गोपीराम पुत्र रूगनाथराम
   जातियान विश्नोई निवासीगण ज्वारनाडा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
9. सोनाराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी–ज्वारनाडा तहसील फलोदी जिला फलोदी राज ।
10. भेराराम पुत्र नरूराम
11. मदनलाल पुत्र नरूराम
12. जगराम पुत्र नरूराम फौत के कायम मुकाम –
    12.1. श्रीमती अमु पत्नी स्व० जगराम
    12.2. मुल्तानाराम पुत्र स्व० जगराम
    12.3. हड़मानाराम पुत्र स्व० जगराम
    12.4. किशन पुत्र स्व० जगराम
    12.5. संतोष पुत्री स्व० जगराम
    12.6. भवरी पुत्री स्व० जगराम
    12.7. रामा पुत्री स्व० जगराम
    जातियान् कुम्हार, निवासीगण – बालासर मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
13. पेमाराम पुत्र नरूराम, जाति कुम्हार, निवासी–बालासर मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
14. बाबूराम पुत्र जसूराम, जाति सुथार, निवासी–पडियाल, तहसील फलोदी. जिला फलोदी।
15. बरजूकंवर पत्नी डूंगरसिंह,
16. माधुसिह पुत्र गजेसिंह
17. खीवसिह पुत्र गजेसिह
18. सवाईसिंह पुत्र भवरसिंह
    जातियान राजपूत, निवासीगण धोलासर, तहसील फलोदी जिला फलोदी।
19. कानाराम पुत्र जसूराम
20. निम्बराम पुत्र जसूराम, जाति कुम्हार, निवासी–पडियाल. तहसील फलोदी जिला फलोदी।
21. श्रीमान तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 24/2018 गवरीदेवी व अन्य बनाम समदी इत्यादि**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

---

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14, 09, 20
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 21

## नि र्ण य

**दिनांक : 12 मार्च 2025**

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 24/2018 अनवान गवरीदेवी व अन्य बनाम समदी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः 13 फरवरी 2023 एवं 14 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील संख्या 39/2023 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 19/7 रकबा 38 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं० 19/6 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा खसरा न० 21/5 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा न० 21/4 रकबा 10 बीघा 14 एवं खसरा नं. 19/1 रकबा 97 बीघा 05 बिस्वा के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 39/2023 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 40/2023 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद, जवाब एवं काउंटर क्लेम के आधार पर मामले में तनकीयात कायम किये बिना तथा पक्षकारान् से साक्ष्य लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा प्रसतुत कांउटर क्लेम का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा न ही वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी पक्षकारान् को सूचित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि–विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के नक्शे अनुसार जमाबन्दी में दर्ज रकबे का पटवारी हल्का द्वारा पेमाईस करने पर मौके पर 20–25 बीघा भूमि कम होना पाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कम रकबे को सभी पक्षकारान् में बराबर–बराबर कम किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मूल वाद संख्या 24/2018 अनवान गवरीदेवी व अन्य बनाम समदी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह मामले का विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्से अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की सहमति प्रदान की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये थे। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील मिथ्या कथनों के साथ एवं विलंब से पेश की है जो खारिज योग्य है। तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा मौके पर सभी पक्षकारान् हिस्से अनुसार बराबर-बराबर भूमि दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट को सूचित किया गया था तथा अपीलार्थीनी का पुत्र वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी मौके पर हाजिर था। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम अपील संख्या 39/2023 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् के अधिवक्ता की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री किये गये है, जिससे अपीलार्थीनी को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही होना स्वाभाविक है। फिर भी न्याय हित मे मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम ज्वारनाडा की अद्यतन जमाबंदी में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 19/6 रकबा 12.3591 हैक्टेयर में वादीनी संख्या एक मैना का 5/14 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 9/14 हिस्सा, तथा खसरा नं. 21/4 रकबा 3.4722 हैक्टेयर में वादी संख्या 1/1 जेठमल का 5/28 हिस्सा एवं प्रतिवादीनी संख्या एक का 9/14 हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है।

अपीलार्थीनी द्वारा अपने काउंटर क्लेम में वादग्रस्त आराजी के मौके पर कम रकबा होने से मौके पर सभी पक्षकारान् में अनुपात अनुसार भूमि प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर वादग्रस्त आराजी के रकबे में कमी के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मौके पर कम रकबे को समान अनुपात अनुसार पक्षकारान् के हिस्से से कम करते हुए विभाजन तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिससे किसी एक पक्षकार को नुकसान न हो। ऐसी स्थिति में अपीलांर्थीनी का कांउटर क्लेम स्वतः ही निस्तारित हो चुका है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीनी द्वारा अपील स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से अपने हक-हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र नहीं उठाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। लिहाजा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर खारिज योग्य है

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में वादग्रस्त आराजी के मौके पर कम रकबे को सभी पक्षकारान् नाम दर्ज हिस्से के अनुपात में कम नहीं किया गया है तथा यह स्पष्ट नही किया गया है कि मौके पर कितना रकबा कम है। तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव तैयारी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में द्वारा नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 39/2023 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है। अपील संख्या 40/2023 स्वीकार किये जाने योग्य पाये से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 24/2018 अनवान गवरीदेवी व अन्य बनाम समदी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15 नवंबर 2022 में प्रदत निर्देशो के अनुसार तहसीलदार फलोदी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब कर, उस पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिनुसार दो माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर